मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सहारनपुर में कहा

योगी का बुलडोजर भ्रष्टाचारियों के लिए है

सहारनपुर, 5 जनवरी (जनसत्ता)।

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने रविवार को कहा कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर सपा-बसपा समर्थक भ्रष्टाचारियों पर प्रहार के लिए है। सैनी रविवार को राज्यमंत्री जसवंत सैनी के निमंत्रण पर यहां आए थे। उन्होंने रामपुर मनिहारन में सैनी शिक्षा प्रसार समिति के तत्वावधान में उनके सम्मान में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लोक कल्याणकारी नीतियों का गुणगान किया। उन्होंने सहारनपुर के भाजपाइयों का हरियाणा चुनाव में मदद करने के लिए आभार जताया और कहा कि वह 2027 में यूपी विधानसभा चुनाव में अपना पूरा योगदान देंगे।

मिर्जापुर में कुल्हाड़ी से प्रहार कर दादा-दादी की हत्या की

नशे का आदी होने के कारण मानसिक रूप से विक्षिप्त है आरोपी

मिर्जापुर, 5 जनवरी (जनसत्ता)।

मिर्जापुर जिले में 14 वर्षीय एक किशोर ने कथित तौर पर कुल्हाड़ी से प्रहार कर अपने दादा-दादी की हत्या कर दी और खुद को भी घायल कर लिया। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने रविवार को बताया कि घटना राजगढ़ पुलिस थाना क्षेत्र के गांव तालर पहाड़ी की है जहां पीतांबर (85) और उनकी पत्नी हीरावती (80) पर उनके पोते ने कुल्हाड़ी से प्रहार कर दिया। उन्होंने बताया कि दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस का कहना है कि नशे का आदी होने के कारण आरोपी मानसिक रूप से विक्षिप्त बताया जा रहा है।

घटना की सूचना मिलने पर एसपी अभिनंदन ने अन्य पुलिस अधिकारियों के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आरोपी किशोर की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। वह कुल्हाड़ी से खुद पर वार कर रहा था। दादा-दादी ने रोकने का प्रयास किया तो उसने उन पर भी प्रहार कर दिया, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद उसने खुद को घायल कर लिया। उन्होंने बताया कि आरोपी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच की जा रही है। दंपति के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। हत्या का आरोपी किशोर चार दिन से अपने दादा-दादी के साथ रह रहा था। साथ में उसका पिता भी रह रहे थे। पिता ने बताया कि घटना के दौरान नशा न मिलने पर पुत्र की हालत बिगड़ गई। दो-तीन लोगों ने पकड़ा तो उनको झटक दिया। इसके बाद उसे किसी तरह से काबू में किया गया। उसी बीच उसने दूध लेकर जा रहे दूधिया को देखा तो दूध-भात खाने की मांग करने लगा। इस पर दूध खरीदा गया। इसके बाद उसकी दादी ने भात (चावल) बनाया।

उसके बाद उसने दादा-दादी के साथ दूध-भात खाया। फिर शांत होकर पड़ोसी के साथ खेलने लगा। घर पर काम होने के कारण पिता अपनी पत्नी, बड़े पुत्र और बहू को लेकर गांव स्थित घर पर आ गए। वहीं छोटा पुत्र दादा-दादी के साथ था।

दो माह से गांजे की लत पड़ गई थी

ग्रामीणों के हवाले से पुलिस का कहना है कि नशे के कारण पौत्र ने दादा-दादी पर हमला कर उनकी हत्या कर दी। आरोपी किशोर के पिता ने बताया कि दो माह से सबसे छोटे पुत्र को गांजा पीने की लत लग गई थी। नशा न मिलने पर उसकी हालत बिगड़ जाती थी। इससे वह उल्टी-सीधी हरकत करने लगता था। उसको लेकर चार दिन से उसके दादा-दादी के पास रह रहे थे। सीओ आएरेशन महेंद्र पाल सिंह ने बताया कि गांजे के लिए रुपए नहीं देने पर किशोर पौत्र ने दादा-दादी की हत्या कर दी है।

वाराणसी में चीनी मांझा के विरोध में लोगों ने किया उपवास

वाराणसी, 5 जनवरी (जनसत्ता)।

महामृत्युंजय मंदिर के महंत एवं सपा नेता किशन दीक्षित के नेतृत्व में लोगों ने रविवार को टाउन हाल स्थित गांधी प्रतिमा के समक्ष उपवास रखकर चीनी मांझे के खिलाफ आवाज मुखर की। लोगों ने मुंह पर काली पट्टी और हाथों में तख्तियों के जरिए मांझे का विरोध किया।

किशन दीक्षित ने कहा कि आए दिन चीनी मांझे की खबरें सुनने को मिलती हैं। कई लोग घायल हो रहे हैं, कई जान गंवा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि जब कानून ने इस चीनी मांझे पर रोक लगा रखी है तो यह बिक कैसे रहा है?

पूर्व पार्षद मनोज यादव ने कहा कि मांझे के कारण कई परिवारों को पीड़ा का सामना करना पड़ रहा है। कई लोगों के घर के दीपक बुझे हैं। इसके बावजूद शासन, सत्ता और अधिकारी चुप हैं।

चंदन की लकड़ी के साथ दो शातिर गिरफ्तार

हापुड़ 5 जनवरी (जनसत्ता)।

सिंभावली थाने के जंगल से 29 दिसंबर की रात को एक चंदन का पेड़ अज्ञात चोर काट ले गए थे। चोरी की गई चंदन की लकड़ी को बेचने की फिराक में घूम रहे दो चोरों को पुलिस ने किसान डिग्री कालेज के सामने से पकड़ लिया है, कब्जे से चोरी की लकड़ी और घटना में प्रयुक्त एक पिकअप गाड़ी बरामद की है।

सीओ स्तुति सिंह ने बताया कि 30 दिसंबर को भरना गांव के सतवीर ने रपट दर्ज कराई थी, उल्लेख किया कि खेत पर करीब 40 साल से एक चंदन का पेड़ खड़ा था। अज्ञात चोर रात के समय काट कर ले गए हैं। पुलिस की तलाशी दौरान चोरी की हुई चंदन की लकड़ी मिली। उसके बाद पुलिस ने दो चोरों को गिरफ्तार कर लिया। अन्य साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गए। पकड़े आरोपियों की पहचान जिला बिजनौर के सुल्तान और परवेज के रूप में हुई है। पकड़ी लकड़ी की कीमत करीब दस लाख रुपए बताई गई है।

TATA

टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : 11वीं मंजिल, टावर ए, पेन्नसुला बिजिनेस पार्क, गणपतराव कदम मार्ग, लोअर परेल, मुम्बई-400013

शाखा कार्यालय : 7वीं मंजिल, इण्डस्ट्रियल कॉमर्शियल हाउस, इवीनुल्लाह एस्टेट, 11 एम.जी. मार्ग, हजरतगंज, लखनऊ-226001, उ.प्र.

अचल सम्पत्ति की बिक्री हेतु विज्ञप्त सूचना

(प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 9(1) के साथ पठित नियम 8(6) के तहत)

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) एवं नियम 9(1) के प्रावधानों तथा विशेष आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल आस्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी बिक्री सूचना

जनसामान्य को और विशेष रूप से निम्नलिखित कर्जदार/सह-कर्जदारों अथवा उनके विधिक उत्तराधिकारियों/प्रतिनिधियों (कर्जदार) को एतद्वारा सूचना दी जाती है कि **टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड** (टीसीएचएफएल) के पास नीचे वर्णित बंधक अचल सम्पत्ति, जिसका कब्जा टीसीएचएफएल के अधिकृत प्राधिकारी द्वारा कर लिया गया है, कर्जदारों तथा सह-कर्जदारों से कुल राशि की वसूली हेतु **"जहाँ है जैसे है", "जो है जैसा है" तथा "जो भी है वहीं है"** के आधार पर 23.01.2025 को बिक्री की जायेगी। आरक्षित मूल्य तथा धरोहर राशि नीचे उल्लिखित है। एतद्वारा सूचना दी जाती है कि बिक्री के किसी आस्थगन/अस्थगन की अनुपस्थिति में, अचिह्नित सम्पत्ति की बिक्री ई-नीलामी द्वारा कथित 23.01.2025 को 2 बजे अप. की जायेगी। ई-नीलामी में भाग लेने हेतु इच्छुक के दिशानुक द्वारा वाला मुहरबन्द लिफाफा टीसीएचएफएल के अधिकृत प्राधिकारी के पास शाखा पता **टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड**, 7वीं मंजिल, इण्डस्ट्रियल कॉमर्शियल हाउस, इवीनुल्लाह एस्टेट, 11 एम.जी. मार्ग, हजरतगंज, लखनऊ, यू.प.-226001 पर 22.01.2025 को 5.00 बजे अप. तक जमा करना है।

प्रतिभूत आस्ति/अचल सम्पत्ति की बिक्री "जहाँ है जैसे है स्थिति" में नीचे वर्णित संक्षिप्त विवरणों के अनुसार की जायेगी :

क्र. सं.	ऋण खाता सं.	कर्जदार सं./ सह-कर्जदार सं./विधिक उत्तराधिकारी सं./विधिक प्रतिनिधि/जमानती सं. के नाम	मांग सूचना के अनुसार राशि	आरक्षित मूल्य	धरोहर राशि	कब्जे का प्रकार	27.11.2024 तक बकाया
1.	TCHHL 0347000100718024 10072938	श्री अमन पुत्र श्री राजेश डण्डायत श्रीमती प्रवीन पत्नी श्री राजेश डण्डायत	अनुबंध संख्या TCHHL0347000 100071802 के तहत आपको रु. 620163/- (रुपये छह लाख बीस हजार एक सौ तिरसठ मात्र) का भुगतान करना है तथा अनुबंध संख्या 10072938 के तहत आपको रु. 1579707/- (रुपये पंद्रह लाख उनासी हजार सात सौ सात मात्र) का भुगतान करना है, जो कुल मिलाकर रु. 2199870/- (रुपये इकवीस लाख निन्यानवे हजार आठ सौ सत्तर मात्र) है।	रु. 21,90,000/- (रुपये इक्कीस लाख नब्बे हजार मात्र)	रु. 2,19,000/- (रुपये दो लाख उन्नीस हजार मात्र)	भौतिक	अनुबंध संख्या TCHHL0347000 100071802 के तहत आपको रु. 958099/- (रुपये नौ लाख अट्ठावन हजार निन्यानवे मात्र) का भुगतान करना है तथा अनुबंध संख्या 10072938 के तहत आपको रु. 2262187/- (रुपये बाईस लाख बासठ हजार एक सौ सत्ताशी मात्र) का भुगतान करना है, जो कुल मिलाकर रु. 3248286/- (रुपये बत्तीस लाख अड़तालीस हजार दो सौ छियासठ मात्र) होगा।

अचल संपत्ति का विवरण: खसरा संख्या 579 पर निर्मित आवासीय मकान का समस्त भाग, 705 वर्ग फीट यानि 65.520 वर्ग मीटर, ग्राम भूहर, तहसील मैरवाना, परगना लालौली और जिला लखनऊ (उत्तर प्रदेश) में स्थित है। **सीमा:- पूर्व:-** 14' चौड़ी सड़क, **पश्चिम:-** निकेश का प्लॉट, **उत्तर:** प्रिंसि कुमार का प्लॉट, **दक्षिण:-** अन्य शामिल।

नोट:- कर्जदार द्वारा टीसीएचएफएल के खिलाफ दायर आर्बिट्रेट (एआर/994/2023) सीआरटी लखनऊ के समक्ष लंबित है, उक्त मामले में टीसीएचएफएल के खिलाफ कोई स्टाटस आदेश पारित नहीं किया गया है। नीलामीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे बोली जमा करने से पहले उचित परिश्रम करें। नीलामी मुकदमे के परिणाम के अधीन होगी।

क्र. सं.	ऋण खाता सं.	कर्जदार सं./ सह-कर्जदार सं./विधिक उत्तराधिकारी सं./विधिक प्रतिनिधि/जमानती सं. के नाम	मांग सूचना के अनुसार राशि	आरक्षित मूल्य	धरोहर राशि	कब्जे का प्रकार	27.11.2024 तक बकाया
2.	TCHHF 0347000100064997 तथा 10512473 तथा 10679034	इति फूड सॉल्ट एंड टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड इसके निदेशक श्री सागर शुक्ला पुत्र श्री अनिल शुक्ला उर्फ अनिल कुमार शुक्ला के माध्यम से श्री अनिल शुक्ला उर्फ अनिल कुमार शुक्ला पुत्र श्री राम शंकर शुक्ला श्रीमती रंजना शुक्ला पत्नी श्री अनिल शुक्ला उर्फ अनिल कुमार शुक्ला	रु. 25,30,613/- (रुपये पच्चीस लाख तीस हजार छह सौ तेरह मात्र) आपके द्वारा ऋण खाता संख्या TCHHF0347000100064997 के अंतर्गत देय और भुगतान योग्य तथा रु. 61,93,347/- (रुपये इकसठ लाख तिरानबे हजार तीन सौ सैंतालीस मात्र) की राशि आपके द्वारा ऋण खाता संख्या 10679034 के अंतर्गत देय और भुगतान योग्य हैं तथा रु. 94,96,487/- (रुपये चौरानवे लाख छियानवे हजार चार सौ सत्ताशी मात्र) की राशि आपके द्वारा ऋण खाता संख्या 10512473 के अंतर्गत देय और भुगतान योग्य हैं, यानी कुल राशि रु. 1,82,20,446/- (रुपये एक करोड़ बयासी लाख बीस हजार चार सौ छियालीस मात्र) है, 09-06-2022	रु. 1,25,02,000/- (रुपये एक करोड़ पच्चीस लाख मात्र)	रु. 12,50,000/- (रुपये बारह लाख पचास हजार मात्र)	भौतिक	रु. 34,41,806/- (रुपये चौंतीस लाख इकतालीस हजार आठ सौ छः मात्र) अनुबंध संख्या TCHHF0347000100064997 के तहत आपके द्वारा देय और बकाया है और रु. 90,83,116/- (रुपये नब्बे लाख तिरासी हजार एक सौ सोलह मात्र) की राशि अनुबंध संख्या 10679034 के तहत आपके द्वारा देय और बकाया है और रु. 1,06,79,034/- (रुपये एक करोड़ छः लाख उनासी हजार चौंतीस मात्र) की राशि अनुबंध संख्या 10512473 के तहत आपके द्वारा देय और बकाया है, कुल रु. 2,66,47,956/- (रुपये दो करोड़ छियासठ लाख सैंतालीस हजार नौ सौ छप्पन मात्र)

अचल संपत्ति का विवरण: पहली मंजिल पर वाणिज्यिक भूखंड संख्या 3/187 पर निर्मित संपत्ति का समस्त भाग, माप 174.72 वर्ग गज, विवेक खंड, गोमती नगर, वार्ड - राजीव खंड, लखनऊ (उत्तर प्रदेश) में स्थित, बिक्री विलेख में उल्लिखित सभी सामान्य सुविधाओं के साथ। **सीमाएँ: पूर्व:**12 मीटर चौड़ी सड़क, **पश्चिम:** प्लॉट संख्या 03/184, **उत्तर:** मकान संख्या 3/186, **दक्षिण:** मकान संख्या 3/188

बिक्री में आम जनता को व्यक्तिगत रूप से निविदा जमा करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। ऐसे किसी भी अधिकारी या व्यक्ति जिन्हें इस बिक्री के सिलसिले में किसी भी प्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करना हो, चाहे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, ने बिक्री की जाने वाली सम्पत्ति में कोई हित अर्जित या अर्जित करने का प्रयास नहीं करेंगे।

यह बिक्री प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 में निर्धारित शर्तों तथा आगे निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी :

नोट : यह ई-नीलामी बिक्री प्रति 5 मिनट के अतीमित विस्तार के साथ पोर्टल **https://bankauctions.in/** के माध्यम से 23.01.2025 को 2.00 बजे अप से 3.00 बजे अप के बीच आयोजित की जायेगी।

नियम एवं शर्तें : 1. संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट नियमों प्रतिभूतिकारों की सर्वश्रेष्ठ जानकारी के अनुसार प्रस्तुत किये गये हैं, लेकिन इस उद्घोषणा में किसी त्रुटि अथवा अशुद्धि के लिये अधोहस्ताक्षरी उत्तरदायी नहीं होंगे। यदि बोली राशि अथवा बोलीदाता से संबंधित कोई विवरण उपलब्ध होता है तो प्रतिभूत लेनदार के विवेकानुसार लॉट को फिर से नीलामी पर प्रस्तुत किया जायेगा। 2. आरक्षित मूल्य से कम में सम्पत्ति की बिक्री नहीं की जायेगी। 3. बोली वृद्धि राशि रु. 10,000/- (रुपये दस हजार मात्र) होगी। 4. सम्पत्ति के विक्रय हेतु जमा की गयी समस्त संविदाओं के साथ ऊपर लिखे के अनुसार जमा धरोहर राशि शाखा पता में देय **"टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लि."** के पक्ष में डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में जमा करनी होगी। असफल संविदाकारों को नीलामी के पश्चात डिमाण्ड ड्राफ्ट वापस कर दिया जायेगा। इनाईएटी/आरटीजीएस/आईएमपीएस के माध्यम से हुएबडी जमा करने के लिए कृपया अधिकृत प्राधिकारी से सम्पर्क करें। 5. उच्चतम संविदाकार को सफल संविदाकार घोषित कर दिया जायेगा बशर्ते कि यह संविदा के लिए वैधानिक रूप से पात्र हो और भत्तों कि उपरोक्त द्वारा संविदा की राशि आरक्षित मूल्य के कम न हो। यदि प्रस्तावित मूल्य संबंध अन्य दो सफल प्रायसों से हो कि यह ऐसा करने के लिए अधसमाधीन हो तो 'अधिकृत प्राधिकारी' का विवेकाधिकार होगा कि वह उच्चतम संविदा की स्वीकृति को लागू कर दे। 6. कारणों को अभिलिखित करते हुए, 'अधिकृत प्राधिकारी' विक्रय को स्थगित/अविलम्बित करने का विशेषाधिकार रखेगा। 7. सम्पत्ति का दिनांक 17.01.2025 को 11 बजे प्रातः से 5.00 बजे सायं के बीच किया जा सकता है। 8. सफल क्रेता घोषित किये गये व्यक्ति को ऐसी उद्घोषणा के पश्चात कार्य क्रय राशि/संविदा जिसमें ईएमडी राशि शामिल है, का चब्बीस प्रतिशत 'अधिकृत प्राधिकारी' के पास 24 घंटे के भीतर जमा करना होगा और इस राशि के जमा करने में अपफल रहने पर सम्पत्ति को निलाी सांचा द्वारा पुनः नीलामी/बिक्री के लिए रखा जायेगा। 9. यदि उपर्युक्त के अनुसार प्रारंभिक राशि अदा कर दी जाती है तो क्रय राशि की शेष देय राशि क्रेता द्वारा सम्पत्ति के विक्रय की पुष्टि की तिथि के 15वें दिन की या इससे पूर्व 'अधिकृत प्राधिकारी' के पास जमा करनी होगी, यदि उस 15वें दिन रविवार या कोई अन्य अवकाश होता है तो इसे 15वें दिन के बाद पहले कार्यालयी दिन पर जमा करनी होगी। 12. उपरोक्त अवधि में भुगतान में चूक करने पर बिनी संभि द्वारा सम्पत्ति की फिर से नीलामी/बिक्री की जायेगी। ईएमडी सहित जमा की गई राशि **टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड** द्वारा जब्त कर ली जायेगी तथा चूक करने वाले क्रेता उस सम्पत्ति के सभी दावों से वंचित हो जाएंगे। 11. **टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड** को सम्पत्ति के प्रति देय अधिभारों की जानकारी का विस्तृत ब्यान, सम्पत्ति पर रखे गये दावे अथवा उस प्रकृति एवं मूल्य के अन्य ज्ञात विवरण: शून्य। इच्छुक संविदाकार को सम्पत्ति कर, बिजली आदि के विभिन्न सेवाओं सहित सम्पत्ति पर खतभारों से सम्बन्धित अपनी स्वतन्त्र पूछताछ करने का सलाहें दिया जाता है। 12. अन्य दिशानों अथवा अनिलाइन ई-नीलामी प्रक्रिया पर प्रशिक्षण के लिए संभावित बोलीदाता सेवा प्रदाता अन्य विवरणों अथवा अनिलाइन ई-नीलामी प्रक्रिया पर प्रशिक्षण के लिए संभावित बोलीदाता हमारे सेवा प्रदाता मैसर्स अंबालिका, मनीष नं. 605 ए, 6वां तल, मैत्रीपलस कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, अमीरपेट, हैदराबाद-500038 से ई-मेल : **info@ebkauctions.in** अथवा मनीष मंसल से ई-मेल आईडी : **Manish.Bansal@tatacapital.com** अधिकृत प्राधिकारी मोबाइल नं. 8588983696 से सम्पर्क कर सकते हैं। कृपया अपनी पूछताछ हमारएसएप नम्बर : 9999078669 पर करें। 13. उच्चतम घोषित संविदा राशि पर 1% टीडीएस देना होगा और यह उच्चतम संविदाकार द्वारा अदा किया जायेगा। उच्चतम संविदाकार द्वारा भुगतान स्वामी/कन्टेंदर(रो) के पैन पर जमा करनी होगी तथा चालान की प्रति हमारी कम्पनी के पास जमा करनी होगी। 14. उपर्युक्त विवरण कृपया लिए प्रतिभूत लेनदार की वेबसाइट **http://surl.li/hdqzl** में प्रायपालित लिंक देखें। 15. कृपया लिंक **https://www.tatacapital.com/property-disposal.html** भी देखें।

कृपया ध्यान दें : टीसीएचएफएल ने इस संपत्ति की बिक्री/नीलामी के लिए उल्लिखित नीलामी मानीयत के अलावा किसी भी दलाल/एजेंट को नियुक्त नहीं किया है। इच्छुक पार्टियों को इस मामले में सभी प्रश्नों और पूछताछ के लिए केवल अधोहस्ताक्षरी या अधिकृत अधिकारी से संपर्क करना चाहिए।

स्थान : दिल्ली, उप्र. ह./- अधिकृत प्राधिकारी

तिथि : 06.01.2025 टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

बैंक ऑफ़ इंडिया Bank of India BOI

Zonal Office: Bank of India, 1st Floor, Awasthi Complex, Near DM Chauraha, Hardoi - 241001, UP Phone No.: 05852-297603

Sale Notice for Sale of Immovable Properties APPENDIX-IV-A, Under the provisions of Rule 8(6)

E-Auction Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with provision to Rule 8(6) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002. Notice is given to the Public in general and in particular to the borrower(s) and Guarantors(s) that the below described immovable properties mortgaged/charged to Bank of India the Physical possession of which has been taken by the Authorized Officer of Bank of India will be sold on "As is where is" "As is what is" and "Whatever there is" basis.

The last date for submission of EMD/Documents is 24.01.2025 till 04:00 PM

Date and Time of E-Auction 27.01.2025, (11:00 AM to 04:00 PM)

Sr. No.	Name & Address of the Borrower, Guarantors Amount Outstanding	Description of the Immovable Secured Assets to be sold	Reserve Price (RP) / Earnest Money (EMD) Rs.
Branch: Shahjahanpur, Senior Manager, Mobile: 8141274315			
1.	**Mrs. Seema Gupta** W/o Mr. Ravindra Gupta, 178, Zia - Khel, Kotwali, Shahjahanpur 242001 (UP). **Mr. Anuj Agarwal** S/o Mr. Ravindra Gupta, 178, Zia - Khel, Kotwali, Shahjahanpur 242001 (UP). **Mrs. Rinkal Agarwal** W/o Mr. Anuj Agarwal, 178, Zia - Khel, Kotwali, Shahjahanpur 242001 (UP). **Mr. Ravindra Gupta** S/o Mr. Ram Autar Gupta, 178, Zia - Khel, Kotwali, Shahjahanpur 242001 (UP). **Outstanding Amount: 1,84,35,623.26 + Further Interest & Other Charges.**	All that part and parcel of the property situated at Mohalla Zia - Khel, Tehsil Sadar, Distt. Shahjahanpur (UP) in the name of Mrs. Seema Gupta W/o Mr. Ravindra Gupta & Mrs. Rinkal Agarwal W/o Mr. Anuj Agarwal, having area of **388.10 sq.mtr.** **Bounded By: East:** Godown of National Seeds Corporation, **West:** 13 Feet wide Rasta, **North:** Plot of Sunil Agarwal, **South:** House of Vimal Kumar Gupta. **Encumbrances: NIL**	**Rs. 98,69,000/- / Rs. 9,86,900/-**
Branch: Farrukhabad, Chief Manager, Mobile: 9936773744			
2.	**Mr. Shiv Om Pandey** S/o Jai Prakash Pandey (Borrower cum Mortgagor), Address: Allah Nagar Alias Barhpur, Farrukhabad 209625. **Mrs. Priti Pandey** W/o Shiv Om Pandey (Co-Borrower), Address: Allah Nagar Alias Barhpur, Farrukhabad 209625. **Mr. Suman Prakash Tripathi** S/o Ganga Sara Tripathi (Guarantor), Address 5/176, Avas Vikas Colony, Farrukhabad - 209625. **Outstanding Amount: 17,37,538.55 + Further Interest & Other Charges.**	Residential Property situated at Gata No. 158, Property No. 7/P, Allah Nagar Alias Barhpur, Behind Kadri Gate Police Chowki, Farrukhabad (UP) in the name of Mr. Shiv Om Pandey S/o Jai Prakash Pandey having area of **70.26 sq.mtr.** **Bounded By: East:** War (Gali) 10 Feet, **West:** House of Durgesh Nandani, **North:** House of Geeta Mishra / Plot of Sukhdevi, **South:** Plot of Mithilesh Dixit.	**Rs. 14,97,000/- / Rs. 1,49,700/-**
Branch: Sitapur, Senior Manager, Mobile: 7007618109			
3.	**Mrs. Madhu Tiwari** W/o Mr. Umakant Tiwari (Borrower cum Mortgagor), Address: Narayan Nagar, Hempurwa, Sitapur 261001 (UP). **Mr. Harinam Singh** S/o Mr. Kashiram (Guarantor), Address: Mandir Wali Gali, Hempurwa, Sitapur 261001 (UP). **Outstanding Amount: 7,37,750.06 + Further Interest & Other Charges.**	Land & Building situated at Land No. 72, Mohalla Tareenpur, Hempurwa, Pargana & Tehsil Sitapur, District Sitapur (UP) in the name of Mrs. Madhu Tiwari W/o Mr. Umakant Tiwari, having area of **185.873 sq.mtr.** **Bounded By: East:** 12 Feet Kachha Rasta, **West:** House of Sanjay Kumar, **North:** Plot of Seller, **South:** House of Sunita Singh.	**Rs. 44,08,000/- / Rs. 4,40,800/-**
4.	**Mrs. Meenu Mishra** W/o Mr. Vijay Kumar Mishra (Borrower cum Mortgagor), Address: Mohalla Chaudhary Tola, Sitapur 261001 (U.P.). **Mr. Vijay Kumar Mishra** S/o Mr. Mahesh Dutta (Co-Borrower), Address: 101, Mohalla Chaudhary Tola, Sitapur 261001 (UP). **Outstanding Amount: 6,65,182.46 + Further Interest & Other Charges.**	Land & Building situated at Part of Gata No. 613/1, Mauza Tareenpur, Andar Nagar Pallka, Loniyanpurwa Aanshik, Pargana & Tehsil Sitapur, District Sitapur (UP) in the name of Mrs. Meenu Mishra W/o Mr. Vijay Kumar Mishra, having area of **540.00 sq.feet** **Bounded By: East:** Proposed Road, **West:** Plot of Veeru Sardar, **North:** Plot of Mr. Vineet Awasthi, now Mrs. Kiran Mishra, **South:** House of Babloo Mishra.	**Rs. 5,69,000/- / Rs. 56,900/-**
5.	**Mrs. Rajeshwari Gupta** W/o Sri Madan Lal Gupta (Borrower cum Mortgagor), Address: 771, Nayi Basti, Sitapur 261001 (UP). **Mr. Kamlesh Kumar Gupta** S/o Sri Madan Lal Gupta (Co- Borrower), Address: 771, Nayi Basti, Sitapur 261001 (UP). **Mr. Madan Lal Gupta** S/o Ram Kishan Gupta (Guarantor), Address: 771, Nayi Basti, Sitapur 261001 (UP). **Outstanding Amount: 4,08,506.00 + Further Interest & Other Charges.**	Land & Building situated at Plot No. 11, House No. 771, Mohalla Alam Nagar, Pargana Khairabad, Tehsil Sadar, District Sitapur (UP) in the name of Mrs. Rajeshwari Gupta W/o Sri Madan Lal Gupta, having area of **63.19 sq.mtr.** **Bounded By: East:** Plot of Jagat Narain Rastogi, **West:** Rasta, **North:** Plot of Vinod, **South:** House of Babu Ram Saxena.	**Rs. 14,96,000/- / Rs. 1,49,600/-**

Terms & Conditions:- For detailed terms and conditions of the sale, please refer to the link provided in Secured Creditor's web portal i.e. **https://www.bankofindia.co.in, www.baanknet.com**. For further details contact AGM/Chief Manager/Branch Manager of respective Branches at Numbers as given above. The above mentioned Borrower(s) / guarantor(s) / Mortgagor(s) is given notice to deposit there total Outstanding, Interest & Other expenses before the E-Auction date. Failing which, the said property will be auctioned, and the outstanding amount if any, will be recovered along with Interest cost.

This may also be treated as notice under rules 6(2) & 8(6) of Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 to the borrower/s and guarantor/s of the Said loan about the holding of E-Auction Sale on the above mentioned date.

Date: 06.01.2025 Place: Hardoi Authorized Officer, Bank of India

जनसत्ता क्लासीफाइड

व्यक्तिगत

I Sama Alias Km Sama D/O, Fajajurrahman R/o Gul Chaudhary Deeh, Kuk Nagar Grint, Kook Nagar Grant, Gonda, Uttar Pradesh have changed my name to Shama Khan.

0040766973-1

I Ansh Shukla S/O, Arvind Kumar Shukla R/o 935/6A pandit Deendayal Upadhyaya nagar Sarsawan Arjungang Lucknow 226002 have changed my name to Vidit Shukla.

0040767080-1

व्यक्तिगत

मैं, आशा पत्नी मोहम्मद शफी मीर, माता आर्मी नं0-15420783L, हवलदार तनवीर अहमद मीर निवासिनी-ग्राम-लार, पोस्ट-तुलमुला, जिला- गांदरबल, राज्य-जम्मू और कश्मीर, पिन-191131, दिनांक-03.01.2025 को कलेक्ट्रेट कोर्ट लखनऊ के समक्ष शपथपत्र देकर भविष्य हेतु अपना नाम आशा से बदलवाकर आयशा बानो करवा दी हूँ।

व्यक्तिगत

मैं, मुख लाल कुशवाहा पुत्र फागुनाथ पिता आर्मी नं0-15427396Y हवलदार राजकिशोर कुशवाहा निवासी-ग्राम-गायघाट, पोस्ट-गायघाट, जिला-गाजीपुर, राज्य-उत्तर प्रदेश, पिन-232331, दिनांक-02.01.2025 को कलेक्ट्रेट कोर्ट लखनऊ के समक्ष शपथपत्र देकर भविष्य हेतु अपना नाम मुख लाल कुशवाहा से बदलवाकर मुखलाल करवा दिया हूँ।

व्यक्तिगत

मैं, SARSWATI DEVI पत्नी मुखलाल, माता आर्मी नं0-15427396Y हवलदार राजकिशोर कुशवाहा निवासिनी-ग्राम-गायघाट, पोस्ट-गायघाट, जिला-गाजीपुर, राज्य-उत्तर प्रदेश, पिन-232331, दिनांक-02.01.2025 को कलेक्ट्रेट कोर्ट, लखनऊ के समक्ष शपथपत्र देकर भविष्य हेतु अपना नाम SARSWATI DEVI से बदलवाकर SARSVATI DEVI करवा दी हूँ।

"IMPORTANT"
Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

दो पक्षों के बीच झगड़ा, एक घायल

मोदीनगर, 5 जनवरी (जनसत्ता)।

मुरादनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बहादुरपुर में पेड़ काटने को लेकर दो पक्षों के बीच झगड़ा हुआ। जिसमें एक व्यक्ति गोली लगने से घायल हो गया। एसीपी मसूरी सिद्धार्थ गौतम ने जानकारी देते हुए बताया कि रविवार को डायल 112 के माध्यम से सूचना मिली कि ग्राम बहादुरपुर में झगड़े के दौरान एक व्यक्ति को गोली लगी है। पुलिस और फील्ड यूनिट ने मौके पर पहुंचकर जांच की। जांच में पता चला कि विवाद रोहित त्यागी और भानू त्यागी की ओर से पेड़ काटने को लेकर हुआ। इस पर दूसरे पक्ष के मनोज त्यागी और विनेश त्यागी से बहस बढ़ गई, जिसके बाद झगड़ा हिंसक हो गया।

फंदे पर लटका मिला किशोरी का शव

बरेली, 5 जनवरी (जनसत्ता)।

थाना भमौरा क्षेत्र में एक किशोरी ने घर के अंदर फंदे पर लटककर आत्महत्या कर ली। थाना प्रभारी निरीक्षक भूपेश पांडे ने बताया कि मृतका का शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। परिजन उसकी आत्महत्या का कोई कारण नहीं बता सके।